राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1200/2015/अलवर

मैसर्स हारवेस्ट गोल्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0,
ग्राम छापर झिवाना, टपूकड़ा, जिला अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, अलवर
जरिये सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.एस.जाजू, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01/08/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 63/आरवैट/जे/2008–09 पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.08.2008 के जरिये आरोपित शास्ति रूपये 78,540/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2008 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या एच.आर.–55/बी–8286 को मैनपुरी से टपूकडा (अलवर) के लिए "मैदा" का परिवहन करते हुए चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा माल में लदे माल के समर्थन में मैसर्स रूडी रॉलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि., मैनपुरी (उ.प्र.) का सेल्स इन्वॉयस नम्बर 215/5 दिनांक 31.07.2008 तथा मैसर्स यादव ट्रासपोर्ट कम्पनी, कमीशन, एजेन्सीज मैनपुरी (उ.प्र.) की बिल्टी संख्या 853 दिनांक 31.07.2008। परन्तु उक्त परिवहनित करयोग्य माल के राज्य में आयात पर नियम 53 रा.मू.प.क.अ., नियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वैट 47 प्रपत्र संलग्न किया जाना आज्ञापक होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र वैट 47 वक्त परिवहन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं किया, अतः धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन पाये जाने पर वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब को अमान्य करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 78,540/– आरोपित की गई।

निरन्तर.....2

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धार 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा 220 बैग्स मंगवाये गये थे जिसके सम्बन्ध में अन्य वांछित दस्तावेज तो प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु प्रपत्र वैट–47 जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था क्योंकि भूलवश ड्राइवर फॉर्म वैट–47 मैनपुरी से लाना भूल गया। जांच पर घोषणा पत्र वैट–47 नहीं पाये जाने पर ड्राइवर तुरन्त मैनपुरी गया तथा वहां से फॉर्म वैट–47–नम्बर 4272081 लाकर सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रकार सम्पूर्ण दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। वैट 47 पूर्णतया भरा हुआ है सम्पूर्ण दस्तावेज वक्त जांच उपलब्ध करवा दिये गये थे। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि माल के परिवहन के साथ प्रपत्र वैट 47 साथ नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज लि., Case No. (Civil) 5197 of 2005 Date 03.08.2007 एवं मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स, (टैक्स अपडेट वॉल्यूम 22 पार्ट 5 159) आदेश दिनांक 06.11.2008 के प्रकरण में दिये गये निर्णय के प्रकाश में यदि परिवहनित माल के साथ में आज्ञापरक निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधिसम्मत है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रेकॉर्ड अध्ययन किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमावर्ती चैक पोस्ट्स को दिनांक 01.05.2008 से समाप्त कर दिया गया था एवं साथ ही राज्य में आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर घोषणा पत्र VAT-47 अनिवार्य कर दिया था। सीमावर्ती जांच चौकियां समाप्त किये जाने से पूर्व घोषणा पत्र VAT-47 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं की सूची में "मैदा" शामिल नहीं था, अतः उपयुक्त प्रचार–प्रसार के अभाव में सम्भव है कि अपीलार्थी को इस तथ्य का ज्ञान नहीं रहा हो कि प्रश्नगत आयातित माल पर भी घोषणा पत्र VAT-47 लागू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में आम व्यवहारीगण को हो रही समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.12 (15) वित्त/क/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 के द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर को यह निर्देशित किया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई अग्रिम निर्णय लिये जाने तक ऐसी वस्तुओं

निरन्तर.....3

के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान फार्म–47 व फार्म–49 साथ में नहीं होने पर भी उनके विरूद्ध शास्ति के आरोपण नहीं किये जाये। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.02.2009 द्वारा उपरोक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से वापिस ले लिये थे। राज्य सरकार के उक्त दोनों संदर्भित पत्र निम्न प्रकार है:–

"एफ.12(15)वित्त/क/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008
आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग
राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

सन् 2008–09 की बजट भाषण के अन्तर्गत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप 1 मई, 2008 से सभी सीमान्त चैक पोस्ट हटाने के साथ राज्य में कतिपय वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय वाणिज्य के दौरान व्यवहारियों के द्वारा वैट फार्म–47 एवं 49 को साथ में रखना अनिवार्य किया गया था।

राज्य सरकार इस संबंध में व्यवहारियों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इस सन्दर्भ में गठित कमेटी द्वारा अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान फार्म–47 व फार्म–49 साथ में नहीं होने पर भी उनके विरूद्ध शास्ति के आरोपण नहीं किये जाये।

निरन्तर.....4

आपके द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करावें।

भवदीय
(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)"

"एफ.12(15)वित्त/क/2008/पार्ट–3 दिनांक 27.02.2009
आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग
राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : एफ.12(15)वित्त/क/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 द्वारा जारी निर्देश एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से वापिस लिये जाते है।

इस संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करावें।

भवदीय
(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)"

राज्य सरकार के उक्त पत्रों के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि चैक पोस्ट समाप्त किये जाने के पश्चात् व्यवहारीगण को आ रही कठिनाईयों का निराकरण करने के उद्देश्य से कुछ समय के लिये घोषणा पत्र VAT-47 प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में भी शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

निरन्तर.....4

6. प्रस्तुत प्रकरण भी दिनांक 16.07.2008 को की गई जांच से सम्बन्धित है जिसमें कि प्रश्नगत माल "मैदा" उत्तर प्रदेश से राजस्थान राज्य में लाया जा रहा था एवं माल के बिल बिल्टी माल के साथ में पाई गई थी परन्तु घोषणा पत्र VAT-47 साथ में नहीं पाया गया था। चूंकि राज्य की सीमावर्ती जांच चौकियां समाप्त किये जाने के पश्चात् सभी वस्तुओं पर उक्त घोषणा पत्र की व्यवस्था लागू की गई थी तथा राज्य सरकार ने व्यवहारीगण को हो रही समस्या के निराकरण के लिये कुछ समय के लिये उक्त घोषणा पत्र के अभाव में शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश भी दिये थे, अतः प्रस्तुत प्रकरण में भी इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कर निर्धारण अधिकारी को उदार रूख अपनाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ में घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Rajasthan and Ors. vs D.P. Metals (2001) 124 STC 611 के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह भी अवधारित किया है कि किसी कारणवश यदि घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मध्यनजर उसे अवसर दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के प्रत्युत्तर के साथ में अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र वैट–47ए प्रस्तुत कर दिया गया था, अतः उक्त संदर्भित निर्णय व प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्र स्वीकार नहीं किया जाकर शास्ति का आरोपण किया जाना अनुचित पाया जाता है, अतः आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने में त्रुटि की गई है, अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

01.08.2018

(ओमकार सिंह आंशिया)
सदस्य